UPJL010006962026

Presented on : 02-02-2026
Registered on : 03-02-2026
Decided on : 30-03-2026
Duration : 0 years, 1 months, 28 days

IN THE COURT OF
Spl. Judge SC/ST Act
AT ,Jalaun
(Presided Over by SRI SURESH KUMAR GUPTA)

Bail Application/200018/2026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट), जालौन स्थान उरई।

सम्बन्धित नियमित जमानत प्रार्थना पत्र सं0–18/2026

1. गजराज सिंह उम्र करीब 65 वर्ष पुत्र अनुरूद्ध,
2. भगवान सिंह उम्र करीब 39वर्ष पुत्र गजराज सिंह,

समस्त निवासीगण ग्राम इमिलिया थाना कोतवाली उरई, जिला जालौन उत्तर प्रदेश।

.....(आवेदकगण/अभियुक्तगण)

बनाम

1. सरकार उत्तर प्रदेश ..... (लोक अभियोजक)

मुकदमा अपराध संख्या 402/2025
एस0टी0 संख्या 91/2025,
धारा–115(2), 352, बी0एन0एस0
धारा 3(2)(va) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट,
थाना कोतवाली उरई, जिला जालौन।

दिनांक–30.03.2026

निस्तारण जमानत प्रार्थनापत्र

आवेदकगण/अभियुक्तगण गजराज सिंह व भगवान सिंह की ओर से एस0टी0 संख्या 91/2025, मुकदमा अपराध संख्या 402/2025 धारा–115(2), 352, बी0एन0एस0 धारा 3(2)(va) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, थाना कोतवाली उरई, जिला जालौन के प्रकरण में न्यायालय द्वारा अंतरिम जमानत आदेश पर पारित आदेश के अनुपालन में आत्मसमपर्ण करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्तगण आज की तिथि तक अंतरिम जमानत पर हैं।

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादिनी मुकदमा श्रीमती सरोज ने इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी कि दिनांक 05.07.2025 को समय लगभग 07:00बजे शाम वह गौशाला से अपने घर जा रही थी, तो गौशाला के बाहर ही गजराज सिंह व भगवान सिंह आये और कहा कि समस्त गायों को बाहर निकालों, मना करने पर उक्त लोगों ने गौशाला का ताला तोड़ दिया तथा प्रार्थिनी व उसके पति के साथ मारपीट की एवं गाली गलौज करते हुए जाति सूचक गालियां देकर अपमानित किया। उक्त तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त मुकदमा पंजीकृत किया गया। उपरोक्त प्रकरण में बाद विवेचना आवेदक/अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत न्यायालय प्रेषित किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया जा चुका है।

जमानत प्रार्थना पत्र में मुख्यतः यह आधार लिया गया है कि आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। वह पूर्णतः निर्दोष हैं, उसने कोई अपराध नहीं किया है। प्रथम

Digitally signed by Suresh Kumar Gupta
Date: 2026.04.16 12:25:06 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। उक्त धाराओं का कोई अपराध नहीं बनता है। घटना कोई स्वतंत्र जन साक्षी नहीं है। अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह विश्वसनीय जमानतें दाखिल करने को तैयार हैं। अतः दौरान मुकदमा आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

मैंने जमानत प्रार्थना पत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्त पर वादिनी व उसके पति की मारपीट करने तथा गाली गलौज करते हुए,जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का आरोप है। धारा 3(2) (va) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, को छोड़कर शेष सभी धाराएं प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षणीय हैं तथा अधिकतम सात वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय है। अभियुक्तगण अंतरिम जमानत पर थे, तथा उनके द्वारा अंतरिम जमानत की शर्तो का दुरूपयोग नहीं किया गया है। अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए तथा प्रकरण के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना, इस स्तर पर उन्हें सशर्त जमानत दिये जाने के आधार पर्याप्त हैं। तदनुसार अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदकगण/अभियुक्तगण गजराज सिंह व भगवान सिंह की ओर से एस0टी0 संख्या 91/2025, मुकदमा अपराध संख्या 402/2025 धारा–115(2), 352, बी0एन0एस0 धारा 3(2) (va) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, थाना कोतवाली उरई, जिला जालौन के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रत्येक अभियुक्त को उसके द्वारा मुव0 50,000–50,000/–रूपये (पचास–पचास हजार रूपये) की धनराशि का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर उसे निम्न शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाता है कि :–

1– अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा व अभियोजन साक्षियों को डराया या धमकाया नहीं जायेगा और न ही अभियोजन साक्ष्यों के साथ कोई छेड़–छाड़ की जायेगी।

2–न्यायालय द्वारा आहूत किये जाने पर समय से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा और विचारण में सहयोग प्रदान करेगा।

दिनांकः–30.03.2026

(सुरेश कुमार गुप्ता)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(एस0सी0/एस0टी0एक्ट)
जालौन स्थान उरई।

J-O- Code-UP 2414